तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सुरेश कुमार बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार, लूणी)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 22 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.03.2022	अपीलार्थी सुरेश कुमार पुत्र श्री मुकनाराम सरगरा निवासी गांव सरेचां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.12.2021 में उसके द्वारा (1) प्रशासन गांवों के संग अभियान 03.12.2021 में ग्राम पंचायत सरेचां तहसील लूणी जिला जोधपुर में हुए कार्यालय ग्राम पंचायत सरेचा के कार्यो जैसे पट्टे, मिसल, सार्वजनिक रास्ते, भूमि आवंटन की सत्यापित प्रतिलिपियां (2) खसरा संख्या 186, 185 के खातेदारों के नाम उनको आवंटन वर्ष, भूमि क्षेत्रफल, आवंटन किस आधार पर एवं किस योजना में किया गया, के दिशा निर्देशों की सत्यापित प्रतिलिपियों एवं अन्य बिन्दू, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई [illegible] से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने [illegible] कारण से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:17:44 IST
Reason: SelfAttested